राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

एफ 5/अभि./सीटीएडी/275(1)/खेल सुविधा विकास/17-18 7159-75 दिनांक : 8/2/19

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
प्रतापगढ।

विषय : संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्मत प्रतापगढ जिले मे **खेल गांव की बाउण्ड्रीवॉल मय सीढ़ीयां निर्माण** कार्य की कार्यकारी एजेन्सी परिवर्तन की स्वीकृति।

प्रसंग : माननीय मंत्री महोदय, टीएडी द्वारा दिनांक 31.01.2019 को एजेन्सी परिवर्तन की स्वीकृति जारी करने के निर्देश के क्रम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 79732-47 दिनांक 14.08.2018 द्वारा जिला प्रतापगढ़ के **खेल गांव की बाउण्ड्रीवॉल मय सीढ़ीयां निर्माण कार्य** की वित्तीय स्वीकृति राशि रू. 150.00 लाख की जारी की गई एवं **कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड** को नियुक्त किया गया।

माननीय मंत्री महोदय, टीएडी द्वारा दिनांक 31.01.2019 को एजेन्सी परिवर्तन की स्वीकृति जारी करने के निर्देश के क्रम मे जिला प्रतापगढ़ के **खेल गांव की बाउण्ड्रीवॉल मय सीढ़ीयां निर्माण कार्य** राशि रू. 150.00 लाख की कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना को नियुक्त किया जाता है।

उपरोक्त कार्य हेतु स्वीकृत राशि वर्तमान मे परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ के निजी निक्षेप खाते मे उपलब्ध है।

उपरोक्त कार्य की कार्यकारी एजेन्सी से ड्राईग, विस्तृत तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर प्रेषित करावें।

यह कार्य सक्षम स्तर (आयुक्त महोदय) से स्वीकृत है।

शर्तें:--

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावें।
3. **राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें।**
4. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता/कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावे।
5. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे।स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

भवदीय

(विनिता बोहरा)I.A.S
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)

कृ.पृ.उ.

एफ 5/अभि./सीटीएडी/275(1)/खेल सुविधा विकास/17-18/1559-75 दिनांक : 8/2/19

प्रतिलिपि-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. जिला कलक्टर, प्रतापगढ।
4. निदेशक/परियोजना प्रबंधक, स्वच्छ परियोजना उदयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि पंत भवन जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, उदयपुर/भीलवाडा।
8. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना बांसवाडा।
9. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा।
10. निदेशक मोनिटरिंग शाखा कार्यालय हाजा।
11. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
12. खेल अधिकारी, कार्यालय हाजा।
13. अधीक्षक, जनजाति खेल छात्रावास (बालक/बालिका) प्रतापगढ़।
14. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721
ई-मेल : comm.tad @gmail.com, Website www.tad.rajasthan.gov.in